रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 6, 1999/अग्रहायण 15, 1921
No. 105] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 6, 1999/AGRAHAYANA 15, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1999

सं. टीएएमपी/99/99-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन न्यास प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार मुम्बई पत्तन न्यास के मैरीन ऑयल टर्मिनल और पीर पाऊ बर्थ में 8 घंटे के आधार पर पोतघाट देयताएं निर्धारित करता है।

मामला सं० टीएएमपी/99/99—एमबीपीटी

मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) ---------- आवेदक

आदेश

(नवम्बर, 1999 के 10 वें दिन को पारित किया गया)

यह मामला मेरीन ऑयल टर्मिनल (एमओटी) और पीर पाऊ बर्थ में वर्तमान 24 घंटे की बजाए 8 घंटे के आधार पर पोतघाट देयताएं लागू करने से संबंधित शासित करने वाले दरों के मान में संशोधन करने के लिये मुम्बई पत्तन न्यास के प्रस्ताव से संबंधित है। इस प्रस्ताव में बर्थ किराया प्रभारों की वसूली के मामले की भांति शर्तों का निर्धारण भी शामिल है।

2. डॉक दरों के मान में विनिर्दिष्ट के अनुसार बर्थ किराया प्रभारों की वसूली के लिए लागू शर्तों का पोतघाट देयताओं की वसूली के लिये भी पालन किया जा रहा है। ये शर्तें प्रभार लगाने की अवधि, रविवार और डाक अवकाशों के दौरान वही प्रभार लगाने, तटीय और विदेश जाने वाले पोतों

की परिभाषा के सम्बंध में एक स्पष्टीकरण के रूप में है। यद्यपि, इन शर्तों को विशेष रूप से एमओटी और पीर पाऊ में भारित किये जाने वाले दरों के मान में शामिल नहीं किया गया है, फिर भी पोतघाट देयताओं की वसूली में इन का पालन किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने के लिए एम बीपीटी द्वारा अब एमओटी और पीर पाऊ बर्थ के लिए दरों के मान में उपयुक्त टिपणियां शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

3. इस प्राधिकरण की यह उल्लिखित स्थिति रही है कि बर्थ किराया प्रभार आदर्शतः घंटों के आधार पर लगाए जाएंगे। चेन्नई वर्कशाप में (फरवरी 98) आयोजित विचार-विमर्श के आधार पर इस विषय पर तैयार किए गए दिशानिर्देश में यह विचार किया गया था कि 8 घंटे के आधार पर प्रभार अपनाना अधिक वास्तविक होगा।

4. कथित दिशानिर्देश के अनुसार एमबीपीटी के डॉक दरों के मान में विनिर्दिष्ट बर्थ किराया प्रभारों को पहले ही संशोधित किया जा चुका है। वर्तमान प्रस्ताव पोतघाट देयताएं लागू करने सम्बन्धी इस परिवर्तन का केवल एक विस्तार है।

5. नवम्बर, 1991 से पहले एमओटी और पीर पाऊ में वसूल की जाने वाली पोतघाट देयताएं बंडरों में वसूल किए जाने वाले दरों के मान का हिस्सा थीं। दिनांक 9 नवम्बर 1991 से पोतघाट देयताओं को बंडरों में वसूल किए जाने वाले दरों के मान से अलग कर दिया गया था और ये देयताएं एमओटी तथा पीर पाऊ बर्थ में बसूल किए जाने वाले दरों के मान का एक हिस्सा बन गई। पत्तन पोतघाट देयताएं और बर्थ किराया प्रभार वसूल करते समय पोतों की एक जैसी सेवाएं प्रदान करता है। केवल यह अन्तर है कि पोतघाट देयताएं जवाहर द्वीप और पीर पाऊ में आने वाले पोतों पर लागू की जाती हैं, जबकि बर्थ किराया प्रभार इंडिया डॉक और पीएंडवी डॉक तथा बीपीएस एवं बीपीएक्स में आने वाले पोतों पर लागू किया जाता है। चूंकि, एमओटी और पीर पाऊ के संबंध में प्रभारों की अलग अनुसूची है, इसलिये पोतघाट देयताओं की वसूली के आधार में परिवर्तन किया जाना शेष रहता है। प्रभार लागू करने के संबंध में एकरूपता लाने के लिए अब परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है।

6. एमओटी और पीर पाऊ में आने वाले टेंकर पोतों के संबंध में भी 8 घंटे के आधार पर पोतघाट देयताएं निर्धारित करने के लिए एमबीपीटी को पत्तन प्रयोक्ताओं से अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। इन अनुरोधों के प्रत्युत्तर में तैयार किए गए प्रस्ताव का न्यासी मंडल ने भी अनुमोदन कर दिया है। जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, यह प्रस्ताव पूर्णतया इस प्राधिकरण की उल्लिखित स्थिति के अनुसार है।

7. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों को देखते हुए एमबीपीटी के उल्लिखित प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/143/99]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1999

No. TAMP/99/99-MBPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby prescribes Pier Dues at the Mumbai Port Trust's Marine Oil Terminal and Pir Pau berth on an 8-hourly basis as in the Order appended hereto.

Case No.TAMP/99/99-MBPT

The Mumbai Port Trust (MBPT) ... Applicant

ORDER

(Passed on this 10th day of November 1999)

This case relates to a proposal from the Mumbai Port Trust (MBPT) for an amendment to the Scale of Rates governing the Marine Oil Terminal (MOT) and the Pir Pau Berth for levy of pier dues on an 8-hourly basis instead of the existing 24-hourly basis. The proposal also covers stipulation of conditions on the same lines as in the case of recovery of berth hire charges.

2. **The conditions as applicable to recovery of berth hire charges as specified in the Docks Scale of Rates are followed in recovery of pier dues also. These conditions are more of a clarificatory nature with regard to period of levy of charge, levy of same charge on Sundays and dock holidays, definition of coastal and foreign-going vessels, etc. These conditions, though not specifically included in the Scale of Rates charged at the MOT and Pir Pau, are followed in the recovery of pier dues. It is proposed to incorporate suitable notes now by the MBPT in the Scale of Rates for the MOT and Pir Pau berth to obviate any ambiguities.**

3. **It has been the stated position of this Authority that berth hire charges shall ideally be levied on an hourly basis. But, the Guideline developed on the subject on the basis of the deliberations at the Chennai Workshop (February 98), envisaged that, as a first step, it will be more realistic to adopt an 8-hourly charge.**

4. In conformity with the said Guideline, the berth hire charges, as specified in the Docks Scale of Rates of the MBPT, have already been revised. The present proposal is only an extension of this change to the levy of pier dues.

5. Prior to November 1991, pier dues charged at the MOT and Pir Pau were part of the Scale of Rates charged at the Bunders. From 9 November 91, the pier dues were separated from the Scale of Rates charged at the Bunders and these dues became a part of the Scale of Rates charged at the MOT and Pir Pau berth. The port provides similar services to vessels while levying pier dues and berth hire charges. The only difference is that pier dues are levied on vessels calling at Jawahar Dweep and Pir Pau while berth hire charges are levied on vessels calling at India Dock and P&V Docks and at BPS and BPX. Since there is a separate schedule of charges in respect of the MOT and Pir Pau, the change in the basis of recovery of pier dues remained to be effected. The change has now been proposed to introduce uniformity in the method of levying charges.

6. The MBPT has been receiving requests from port users to prescribe pier dues in respect of a tanker vessel calling at the MOT and Pir Pau also on an 8-hourly basis. The proposal, formulated in response to these requests, has also been approved by the Board of Trustees. And, as earlier stated, the proposal is totally in line with the stated position of this Authority.

7. In the result, and for the reasons given above, the MBPT proposal in reference is approved.

S. SATHYAM, Chairman

[Advt./III/IV/Exty./143/99]

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.